10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र.क /13–14 निगरानी R-3260-PBR/14 R-3260-PBR/14

अशोक शर्मा पुत्र स्व0 श्री भोगीराम उम्र 51 वर्ष, व्यवसाय खेती, निवासी ग्राम टिहोली, जिला ग्वालियर हाल निवासी गंगा कॉम्प्लेक्स, मुरार थाने के पास मुरार ग्वालियर

——निगरानीकर्ता

श्री के० के० शर्मा, अभि० द्वारा आज दि 25-9-14 को प्रस्तुत 25-9-14 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1 महेश पुत्र श्री रामदीन बघेल

2 तहसीलदार पुत्र श्री रामदीन बघेल

3 फेरन सिंह पुत्र श्री लक्खू सिंह बघेल

4 रामनिवास पुत्र श्री फेरन सिंह बघेल समस्त निवासीगण ग्राम काशीपुर छोटा (टिहोली) परगना व जिला ग्वालियर

——अनावेदकगण

25-9-14 K.K. Sharma Adv.

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भूराजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर (ग्रामीण) के प्र.क. 01/11–12/अ 70 आदेश दिनांक 06.09.2014</u>

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग 3260–पीबीआर/14 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–10–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 6–9–2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के परिप्रेक्ष्य में यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया है । इसके उपरान्त आवेदक द्वारा पुनः अनावेदकगण के विरूद्ध जेल वारंट जारी करने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । अतः माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश होने के कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित प्रकरण से संबंधित नहीं है, क्योंकि आवेदक की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के जिस आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई है उसमें इस प्रकरण के पक्षकार माननीय उच्च न्यायालय की रिट याचिका में	

नि. 326 ०-III/14 ग्वालियर

भी पक्षकार है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष